बिहार सरकार

कार्यालय :– अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना।

E.mail- newgardinerhosp@gmail.com

बिहार सरकार

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर परिचालन हेतु निविदा

स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 1176(10) पटना दिनांक 22.10.2012 के द्वारा न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल पटना को सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल घोषित किया गया है। रोगियों को बेहतर एवं 24X7 सुविधा निर्वाध रुप से उपलब्धता को देखते हुए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत ब्राण्डेंड कम्पनी का नई साईलेंट जेनरेटर डी०जी० सेट 125 KVA द्वारा वैकल्पिक विधुत आपूर्ति के लिए इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा अलग– अलग दो लिफाफों में भर कर, एक बड़े लिफाफें में सील बंद कर व उक्त **लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर परिचालन हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा** प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, अपराहन पॉच बजे तक सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्राप्त की जायेगी। प्राप्त तकनिकी एवं वितीय निविदा को चयन समिति/क्रय समिति के समक्ष खोलने हेतु तिथि का निर्धारण के बाद उसकी सूचना सूचनापट/दुरभाष/ई–मेल के माध्यम से सभी निविदादाता को दिया जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्त्ते कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में **New Gardiner Road Super Speciality Hospital, Patna** के नाम से रू0 500/– का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर एक आवेदन (लेटर पैड पर) के माध्यम से कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती हैं, तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें अन्यथा उनका निविदा अमान्य कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाईट gardinerroadhospital.in पर भी देखा जा सकता है।

(क) संस्थान में साइलेन्ट जेनरेटर द्वारा वैकल्पिक विधुत आपूर्ति से संबंधित कार्य विवरणी का बिन्दुवार शर्त निम्नलिखित है :–

(01) जेनरेटर बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।

(02) जेनरेटर द्वारा आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए।

(03) प्रत्येक प्वाईट पर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए।

(04) जेनरेटर कनेक्शन पूरे अस्पताल भवन (जहां पर सरकारी कार्य सम्पादित किया जाता है) में देना होगा।

(05) साइलेन्ट जेनरेटर का मानक एवं कार्य पैमाना निम्न प्रकार होना चाहिए।

A. *GENSET should be ISI Maked.*

B. *Diesel engine:-* Fuel tank with capacity 12 hrs. continuous running at full load.

(06) संस्था को जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति करने के लिए मेनपैनल में जेनरेटर से केवल तार लगाना होगा। मेनपैनल की व्यवस्था संस्थान के द्वारा की जाएगी।

(07) ऑपरेशन, आपातकाल अथवा किसी भी रोगी को चिकित्सीय सुविधा (सिर्फ ऑपरेशन के समय) उपलब्ध करने के दौरान अचानक बिजली बाधित होती है तो उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जेनरेटर परिचालन करने तक संबंधित जगहों (ऑपरेशन कक्ष में OT लाईट एवं OT उपकरण छोड़कर सिर्फ रौशनी हेतु) पर बिजली अविलम्ब उपलब्ध हो सके, इसके लिए संस्था द्वारा ब्राण्डेंड कम्पनी का तीन पावर/क्षमता की बैट्री एवं इनभर्टर (सक्षम पदाधिकारी द्वारा चयन होने की सूचना पत्र प्राप्त करने के पश्चात्) लगाना एवं कार्य समाप्ति तक रख–रखाव करना होगा। यह कार्य कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व स्थापित (चयन होने की सूचना के 21 दिनों के अंदर) करना होगा। तत्पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

(08) संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई जेनरेटर को अग्नि से सुरक्षा हेतु जेनरेटर सेट के पास Fire Safety (गैस एवं बालू) की व्यवस्था करनी होगी।

(09) संस्था द्वारा मेन पैनल एवं सब पैनल में पैनल के नीचे रबड का सीट लगाना होगा एवं जेनरेटर संबंधित केबल तार का रख–रखाव करना होगा।

(10) जेनरेटर रखने हेतु संस्था/एजेन्सी स्वयं अग्नि शमन के नियमों के अनुसार व्यवस्था करेंगे।

Scanned with CamScanner

(ख) **गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्त्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (एनेक्चर 1 प्रारूप में प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए तथा एनेक्चर 2 में मांगी गई सूचनाए भरना अनिवार्य) के साथ संलग्न करना होगा :–**

(01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।

(02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों /संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण–पत्र के साथ उसका बाइलॉज जिसमें लागू हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा, निबंधन की तिथि निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रू०–1,00,000/– (एक लाख रू०) मात्र (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(04) ESIC निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए एवं पिछले तीन माह अर्थात मार्च 2024 से मई 2024 तक ESIC का चालान एवं पेमैन्ट रिसिप्ट संलग्न करेंगे।

(05) EPF निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए एवं पिछले तीन माह अर्थात मार्च 2024 से मई 2024 तक EPF का चालान एवं पेमैन्ट रिसिप्ट संलग्न करेंगे।

(06) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/पार्टनरसीप फर्म के नाम का पैन कार्ड की छाया–प्रति सलंग्न करना होगा, यदि निविदादाता सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोपराइटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(07) GST निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का होना चाहिए।

(08) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पी०एस०यू० के किसी भी अस्पताल में जेनरेटर परिचालन के काम का एक वर्ष का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य है। 1 वर्ष से अधिक का भी अनुभव है तो उसे भी संलग्न करेंगे। अगर किन्ही निविदादाता के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में जेनरेटर परिचालन का कार्य किया गया है तो कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल का अनुभव ही मान्य होगा इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में होना चाहिए। एनेक्चर–3

(09) Current Account/CC Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेन्ट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्रमाणित हो) का प्रथम पृष्ठ *की* प्रति जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाषन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।

(10) निविदादाता का अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account/CC Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1 लाख रुपये का Solvency Certificate जो New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna के नाम देय होगा।

(11) विगत तीन वर्षो (Assessment Year AY- 2021-22, 2022-23, 2023-24) का आयकर Return प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(12) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन वर्षो (Financial Year FY-2020-21, 2021-22, 2022-23) का मिलाकर कुल टर्न ओवर (Audited Balance sheet and (a)Statement of Profit & Loss Account (if the bidder is registered under Companies Act), or (b)Income and expenditure account (if the bidder is registered under Societies and Trusts Act) or (c)Profit and loss account, (if the bidder is Proprietorship/Partnership firm)) 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख रूपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

(13) GST निबंधन का पिछले 06 माह अर्थात दिसम्बर 2023 से मई 2024 तक का मासिक/क्वार्टरली ई–फाइलिंग की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(14) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था/फर्म के निविदादाता (सिर्फ पदधारक) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का मुकदमा लंबित है, का शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर–4

(15) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि मेरे संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम में कार्यादेश/एकरारनामा रद नही किया गया है तथा ना हीं संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है का शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर–5

(16) निविदादाता (सिर्फ पदधारक) का अद्यतन (06 माह से कम समय का) आवासीय प्रमाण–पत्र (स्थायी/अस्थायी) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।

(17) निविदादाता (सिर्फ पदधारक) के स्थाई/अस्थाई, पते का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन (06 माह से कम समय का) चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(18) निविदादाता (सिर्फ पदधारक) का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाषन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(19) निविदादाता (सिर्फ पदधारक) का पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(20) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि "मेरे द्वारा श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा। श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से मानदेय/मजदूरी का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, अगर संबंधित माह का 15वें० तारीख तक मानदेय/मजदुरी का भुगतान एवं ESIC, EPF की राशि जमा नही करने पर 15वें० तिथि के बाद भुगतान करने पर प्रतिदिन एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राषि में से अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना कटौती कर लेंगे। शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर–6

(21) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि जेनरेटर चालक को रखने में बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित अद्यतन आरक्षण के नियमों (General Administration Department. Letter No. 13876 Dated 03.11.2017 and 14556 Dated 17th November,2017 or Other Government Letter) का अनुपालन करेंगे। एनेक्चर–7

(22) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/ कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा *(आउट–सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा दो या उससे अधिक बार नोटिस देने के बावजूद जी०एस०टी० जमा करने का प्रमाण कार्यालय में जमा नही करना अथवा स्वास्थ्य संस्थान/विभाग/कार्यालय/संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्त्तोनुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, का शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। उपरोक्त आरोपित एजेन्सी निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नही होगें। एनेक्चर–8*

Scanned with CamScanner

(ग) वित्तीय निविदा से संबंधित बिन्दुवार शर्त्तोनुकूल अवलोकन पश्चात् सभी प्रकार का खर्च जोड़कर वित्तीय प्रारुप में दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा, के आलोक में पूर्ण विवरणी :–

(01) संस्थान में जेनरेटर परिचालन हेतु संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ ब्राण्डेंड कम्पनी का नई साईलेंट जेनरेटर डी०जी० सेट 125 KVA का मासिक किराया/भाड़ा (जिसमें जेनरेटर किराया, ईंधन, मोबील, सर्विसिंग एवं जेनेरेटर से सम्बन्धित अन्य खर्च शामिल हो को जोड़कर) का दर (जी0एस0टी0 रहित) अंकित करना होगा।

(02) उक्त कार्य की अनिवार्यता एवं महत्ता के आलोक में औसतन खर्च की गणना से कम राषि अंकित करने पर वित्तीय निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यह मान्य नहीं होगा कि दर निर्धारण के समय न्यूनतम दर से कम दर अंकित करते हुए संस्था कहती है कि मैं अपने खर्च से कार्यों का सम्पादन एकरारनामा के अनुरूप करूँगा।

(03) एल 1 दर का चयन कंडिका ग (1) के अनुसार न्यूनतम राशि के आधार पर की जाएगी। एनेक्चर–9

(04) कंडिका ग (1) के अलावा निविदादाता में से एल 1 दर चयनित संस्था प्रतिदिन तीन श्रमिकों का (प्रत्येक श्रमिक का कार्य 8 घंटा के दर से) श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर अद्यतन मजदुरी, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित अद्यतन ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 के साथ साथ उपरोक्त वर्णित सभी राशि में अद्यतन जी0एस0टी0 जोड़कर मासिक विपत्र समर्पित करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा श्रम नियमावली में अगर बदलाव किया जाता है कि तो वह संस्था पर लागू होगा।

(05) अगर क्रय समिति को यह लगता है कि एल 1 दर बाजार दर से अधिक है उस परिस्थिति में वितीय निविदा को रदद् करते हुए पुनः निविदा प्रकाशन किया जाएगा।

(06) अगर वितीय निविदा में दर समान (बराबर) पाई जाती है तो अनुभव के आधार पर एल1 दर का चयन किया जाएगा। अगर अनुभव भी समान पाया जाता है तो समान दर वाले निविदादाता के बीच लॉट्री के माध्यम से एल1 दर वाले एजेन्सी का चयन किया जाएगा।

(घ) वित्तीय निविदा, तकनीकी निविदा तथा जेनरेटर परिचालन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शर्त्त/कार्य की पूर्ण विवरणी :–

(1) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदी गई **शोरूम से निकाली गई ब्राण्डेड कम्पनी का साइलेन्ट जेनरेटर सेट** से संबंधित केशमेमों, कागजातों की मूलप्रति की अभिप्रमाणित छायाप्रति संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करेंगे।

(2) समय समय पर जी0एस0टी0 में होने वाले संशोधित नियम लागू होंगे।

(3) प्रतिदिन 24X7 के तहत यथा–एक पाली यानि 8 घंटा × 1 कर्मी × 3 पाली के तहत कार्य करने हेतु कुल तीन (03) कर्मियों को निश्चित रुप से रखना होगा।

(4) संस्था द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराई गई जेनरेटर में अचानक खराबी यदि होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए अविलम्ब जेनरेटर संबंधित उपकरणों की मरम्मती एवं रख–रखाव हेतु एक जेनरेटर मिस्त्री कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जो कार्यालय अवधि के अतिरिक्त आवश्यकतानुकूल ऑन कॉल भी उपलब्ध हो सके।

(5) 125 के0वी0ए0 साइलेन्ट जेनरेटर के माध्यम से किए गए प्रतिमाह विधुत आपूर्ति के आलोक में विपत्र (वितीय निविदा के ऐनेक्चर 9 के अनुसार) के साथ श्रम नियमो के अनुसार जेनरेटर चालक को भुगतान किए गए मजदुरी का भुगतान प्रमाण पत्र (अंडरटेकिंग), EPF तथा ESI का अद्यतन नियमों के अनुसार जमा किए गए राशि का चालान सहित विवरणी, जेनरेटर का लॉगबूक (जिसमें कार्य करने वाले सभी जेनरेटर चालक के हस्ताक्षर होना चाहिए) की छायाप्रति एवं विपत्र के पूर्व माह (अंतिम भुगतेय माह) का GST ई–फाइलिंग की छायाप्रति, संलग्न कर ही कार्यालय में देंगे उसके पश्चात ही भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

(6) भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत Income Tax TDS एवं जी0एस0टी अधिनियम के तहत कटौती के उपरांत हीं विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

(7) संस्था एवं संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को EPF एवं ESI द्वारा निर्गत नियमावली/मापदंड एवं शर्त्तों का पालन शतप्रतिशत करना होगा। इस कार्य में संस्था की लापरवाही उजागर होती है तो काली सूची में संस्थान के द्वारा डाल दिया जायेगा।

(8) प्रत्येक माह के 15वें0 तारीख तक पूर्व माह का श्रमिकों/जेनरेटर चालक का सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय/मजदूरी भुगतान तथा ESIC,EPF की राशि निश्चित रुप से जमा करना होगा। संबंधित माह का 15वें0 तारीख तक मानदेय/मजदुरी का भुगतान एवं ESIC,EPF की राशि जमा नही करने पर 15वें0 तिथि के बाद भुगतान करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती कर ली जाएगी।

(9) संस्था श्रमिकों/जेनरेटर चालक को खाता के माध्यम से ही अनिवार्य रुप से भुगतान करेगी।

Scanned with CamScanner

(10) संस्था के द्वारा श्रमिकों/जेनरेटर चालक को संस्थान में कार्य पर रखने से पूर्व उसकी सूचना पूर्ण विवरणी के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(11) निविदा में सफल निविदादाता को एल 1 दर (सफल) की सूचना दी जाएगी उसके बाद संस्था को 21 दिनों के अंदर 01 लाख रुपये का Performance Security के रूप में **"New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna"** के पक्ष में भुगतेय किसी भी राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट अथवा बैंक गारन्टी अथवा **Fixed deposit** संस्था द्वारा जमा करना होगा, तत्पश्चात कार्य विवरणी शर्त का निविदादाता/एजेन्सी को **agreement** संस्थान से किया जाएगा, उसके पश्चात ही संस्था को **work order** दिया जायेगा।

(12) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि संस्थान का भली–भॉति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्त्तो का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा समर्पित करना उनके लिए श्रेयष्कर होगा।

(13) यदि सरकार द्वारा दिशा–निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्त्तो में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश का पालन करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

(14) किसी कारण से वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक मे वितीय निविदा के वैद्यता समाप्त होजाएगी, के आलोक में संस्थान द्वारा निविदा रद्द करते हुए पुनः निविदा प्रकाशन की जाएगी।

(15) यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुभव के आधार पर एल 1 का चयन किया जाएगा, यदि अनुभव भी समान हो तो लॉटरी के माध्यम से एल 1 दर का चयन किया जाएगा।

(16) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के अध्यक्ष/निदेशक/प्रबंध निदेशक/सचिव, फर्मों/प्रतिश्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर/पार्टनर हीं निविदा डालने हेतु निविदादाता के रुप में अधिकृत होगें, किसी भी परिस्थिति में संस्था के अन्य पदधारक, सदस्य अथवा अन्य कोई व्यक्ति निविदा डालने के लिए अधिकृत नहीं होगें।

(17) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्त्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(18) संस्था द्वारा बिहार सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

(19) चयनित संस्था द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा बहाल किए गए जेनरेटर चालक पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय अथवा किसी विभाग/कार्यालय/थाना/संस्थान द्वारा दण्डित नहीं किया गया है। संस्था द्वारा संस्थान में बहाल किए गए जेनरेटर चालक का नियुक्ति पत्र के साथ उनसे षपथ–पत्र (किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय अथवा किसी विभाग/कार्यालय/थाना/संस्थान द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं मेरे द्वारा कोई भी गलत कार्य संस्थान में नही किया जाएगा) लेकर कार्यालय में जमा करना होगा।

(20) चयनित संस्था के द्वारा संस्थान में स्थापित किए गए जेनरेटर खराब होने की स्थिति मे बिजली बाधित नहीं हो, इसके लिए एक अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा। इसके लिए पहले से ही इसकी व्यवस्था अपने पास रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिजली बाधित होने की स्थिति में प्रतिदिन 5000 रुपया के दर से दण्डस्वरुप विपत्र में से कटौती की जाएगी साथ ही साथ इस अवधि (जेनरेटर खराब अवधि) का किसी भी तरह का भुगतान (जैसे मासिक किराया, जेनरेटर चालक एवं अन्य) नही की जाएगी।

(21) जेनरेटर परिचालन 125 KVA का लॉगबुक एनेक्चर 10 के अनुसार संधारित करेंगे एवं विपत्र के साथ उसे प्रतिमाह संलग्न करेंगे।

(22) चयनित संस्था द्वारा रखे जाने वाले जेनरेटर चालक का अद्यतन आवासीय (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान मे है) प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत), जाति प्रमाण–पत्र, कर्मियों का आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में जमा करना होगा एवं जेनरेटर चालक को रखने में बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों (General Administration Department. Letter No. 13876 Dated 03.11.2017 and 14556 Dated 17H November,2017) का अनुपालन करेंगे।

(23) संस्था द्वारा जेनरेटर ऑपरेट करने के लिए रखे गए जेनरेटर चालक को किसी भी समय पद के अनुरूप कार्य करने में असक्षम पाया जाता है या उनके कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है या उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहींनता/अपराध या कदाचार करते हुए पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा वैसे जेनरेटर चालक को को अविलम्ब हटाते हुए दूसरे जेनरेटर चालक को अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा।

(24) संस्था के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र फर्जी/गलत के बारे में कभी भी यह जानकारी प्राप्त होती है तो दिया गया कार्यादेश एवं एकरारनामा को तत्काल रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा।

(25) संस्था के द्वारा कार्यो से संबंधित लॉगबुक का संधारण विहित प्रारूप (लागबूक का प्रारुप एनेक्चर 10) में करना होगा।

(26) सफल निविदादाता का निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों/कागजातों का मूल प्रमाण पत्र एवं निर्गत किए गए संस्थान से सत्यापन कराने के पश्चात् प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही संस्था के द्वारा किये गये कार्यो के आलोक में भुगतान किया जाएगा। प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर दिया गया अग्रधन राशि एवं Performance Security को जब्त करते हुए अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना के द्वारा हमेशा के लिए काली सूची में अंकित कर दी जाएगी।

Scanned with CamScanner

(27) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाण–पत्रों में से जिन प्रमाण–पत्रों की अवधि निर्धारित है, यदि एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से पहले प्रमाण–पत्रों की अवधि समाप्त होती है तो अवधि समाप्त होते हीं उक्त प्रमाण–पत्रों का सेवा विस्तार संबंधित सक्षम विभाग से करा कर संस्थान के कार्यालय में जमा करना होगा।

(28) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्त्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी षर्त्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यथार्थ सभी शपथ–पत्र एवं प्रमाण–पत्रों को निविदा आवेदन के साथ विहित प्रारुप (एनेक्चर 1) के अनुसार ही संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(29) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

(30) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें, जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हों।

(31) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त स्थिति में निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(32) जेनरेटर चालक का न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एवं इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा अद्यतन दिशा–निर्देश प्रभावी होंगे।

(33) निविदा शर्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, *(इसके लिए कोई अतिरिक्त षुल्क देय नहीं होगा)।*

(34) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा, भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा, इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(35) यह कार्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है, इसके अतंर्गत संस्था द्वारा उपलब्ध किसी भी कर्मी का सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(36) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था के द्वारा अग्रधन राशि, Solvency Certificate सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राषि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(37) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/ पश्चात, अथवां कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/ पश्चात अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ–पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई की जायेगी तथा तत्काल उक्त संस्था को काली सूची में नाम दर्ज करते हुए निविदा आवेदन के साथ दिए गए अग्रधन की राशि एवं Performance Security (कार्यादेश के बाद) के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(38) जेनरेटर चालक को संस्थान के सभी स्तर के पदाधिकारियो एवं कर्मियों के प्रति व्यवहार मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, यदि व्यवहार संस्थान द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में वैसे कर्मी को तत्काल हटाते हुए नए कर्मी को संस्था द्वारा रखना होगा।

(39) **जेनरेटर चालक को रखने से पूर्व ऑफर लेटर/नियुक्ति पत्र श्रम विभाग के नियमानुसार देना होगा जिसकी प्रति कार्यालय में जमा करेंगे एवं जेनरेटर चालक के द्वारा अस्पताल में कार्य करने के दरमियान आकस्मात किसी भी तरह की घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संस्था की होगी।**

(40) **संस्थान एवं संस्था के बीच तीन वर्षो (अथवा नए एजेन्सी के चयन होने तक) के लिए कार्य करने हेतु एकरारनामा किया जाएगा। संस्था के द्वारा इच्छा प्रकट करने के पश्चात ही संतोषप्रद कार्य होने पर एकरारनामा की अवधि पूर्व के दर पर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार का दावा मान्य नही होगा। यह पूर्णतः क्रय समिति के निर्णय पर आधारित होगा। किए जा रहे कार्यो की समीक्षा में संतोषप्रद कार्य नही रहने पर कभी भी दिया गया कार्यादेश एवं एकरारनामा को अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड़ सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना के द्वारा रदद किया जा सकता है।**

(41) निविदा में सफल होने के पश्चात् सिर्फ निविदादाता यथा संस्था/कम्पनी/फर्म/प्रोपराइटरसीप/ट्रस्ट का अध्यक्ष/निदेशक/सचिव/प्रोपराईटर/पार्टनर संस्थान के साथ एकरारनामा करने हेतु निर्धारित तिथि को अपने पहचान–पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे तत्पष्चात ही एकरारनामा अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/–NON JUDICIAL STAMP पर किया जाएगा।

(42) संस्थान के पास बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

Scanned with CamScanner

(43) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा किसी भी आरोप के कारण बर्खास्त/रद्द किये गये संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाली संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रुप से सफल संस्था से L1 दर पर कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थाओं को क्रमवार अवसर प्रदान किया जाएगा, साथ हीं L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं Performance Security की राशि भी संस्थान के द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(44) कार्य अवधि के समय जेनरेटर चालक के द्वारा निर्धारित आई कार्ड में रहना होगा नही रहने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक बिल में से 2 प्रतिशत दर से कटौती किया जायेगा।

(45) जेनरेटर चालक को संस्था के द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्क, दस्ताना एवं अन्य सुरक्षात्मक वस्तुओं को पहनना अनिवार्य होगा।

(46) तकनीकी रुप से सफल होने के पश्चात् यदि कोई संस्था वित्तीय निविदा में L1 दर हो जाता हैं, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के दौरान नाम/पता वगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता मे) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था को लिखित अवगत कराने के पश्चात् एकरारनामा होने की तिथि से छः (06) माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार करा कर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा संस्था द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं Performance Security की राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(47) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

(48) संस्थान अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने अथवा नये चयनित संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ हाने के पष्चात् 24 घंटे के अन्दर संस्थान से हटाना होगा। तत्पष्चात् ही 36वां माह का विपत्र का भुगतान एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट वापस किया जायेगा, अन्यथा संस्थान द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्रवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्त संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने की तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से रू. 100/– प्रतिदिन की दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि मे से कटौती करने के पश्चात् ही शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए संस्था पूर्ण रुपेण जिम्मेवार होगा।

(49) संस्था द्वारा तकनीकी/वित्तीय निविदा खोलने के बाद यदि संस्था अपना तकनीकी/वित्तीय निविदा वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं, परन्तु कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात् संस्था अपना कार्य प्रारम्भ नहीं करती है तो उक्त परिस्थिति में अग्रधन, Solvency Certificate एवं Performance Security के रुप में संस्था द्वारा जमा कि राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(50) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नही करेंगे एवं शपथ–पत्र क्रमवारनुकूल अलग–अलग बना होना चाहिए, यदि निविदादाता द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(51) जिस संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट–सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्त्तोनुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों के उल्लघंन किया गया हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो अथवा पूर्व का जी0एस0टी0 बकाया/कार्यालय के द्वारा दो बार या उससे अधिक जी0एस0टी0 जमा करने का प्रमाण देने के लिए नोटिस देने के बावजूद कार्यालय में जी0एस0टी0 जमा करने का साक्ष्य नही देना) लगा हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी आरोपित संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।

Scanned with CamScanner

(53) सभी शपथ–पत्र निविदा शर्त्त के साथ संलग्न शपथ–पत्र संबंधित प्रारुप में हीं (कम्प्युटरीकृत अंकित) भर कर अपने निविदा आवेदन के साथ देना होगा, निविदादाता (पदधारक) द्वारा किसी भी परिस्थिति में शपथ–पत्र प्रारूप में एक भी शब्द संशोधन नहीं किया जायेगा, के आलोक में एक भी शब्दों का संशोधन करने संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने पर उक्त संस्था का तकनीकी निविदा रद्द कर दी जाएगी।

(54) निविदा आवेदन के साथ सभी षर्त्तो से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रति का क्रमवार नम्बरिंग *(स्वअभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा)* करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा। कागजात स्वअभिप्रमाणित नही रहने पर तकनिकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

(55) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, यदि निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेष निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उल्लंघन का पता चलता हैं तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेष एवं एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा की गई सभी भुगतान राशि की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राषि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(56) तकनिकी निविदा के तहत एनेक्चर 1 के साथ साथ एनेक्चर 2 में मांगी गई सूचना अनिवार्य रुप से भरेंगे। नही भरने की स्थिति में निविदादाता को तकनिकी निविदा में निविदादाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अधीक्षक
न्यू गार्डिनर रोड सुपर
स्पेशियालिटी अस्पताल पटना

Scanned with CamScanner

Annexure-1

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं0	प्रमाण पत्रों, ड्रॅाफ्ट एवं षपथ पत्रों की पूरी विवरणी		निबंधन सं0 / पत्रांक सं0 / अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों का क्रमवार क्रमांक	कागजातों की कुल संख्या
01	निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।				01 To	
02	संस्था / पार्टनरशीप फर्म / प्रतिष्ठान / संवेदक / कम्पनी का निबंधन प्रमाण–पत्र।				To	
03	अग्रधन राशि, 1,00,000 / रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।				To	
04	ESIC निबंधन प्रमाण–पत्र जो निविदा प्रकाशन तिथि के पूर्व का एवं माह मार्च 2024 से मई 2024 तक का ESIC का चालान एवं पेमेन्ट रिसिप्ट				To	
05	EPF निबंधन प्रमाण–पत्र जो निविदा प्रकाशन तिथि के पूर्व का एवं माह मार्च 2024 से मई 2024 तक का EPF का चालान एवं पेमेन्ट रिसिप्ट				To	
06	पैन कार्ड की प्रति।			X	To	
07	GST निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न				To	
08	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / पी0एस0यू0 के किसी भी अस्पताल में जेनरेटर परिचालन के काम का एक वर्ष का अनुभव संलग्न करना होगा। एक वर्ष से अधिक का भी अनुभव है तो उसे भी संलग्न करेंगे। अगर किन्ही निविदादाता के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में जेनरेटर परिचालन का कार्य किया गया है तो कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल का अनुभव ही मान्य होगा इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में होना चाहिए। एनेक्चर–10					
09	Current Account/CC Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेन्ट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्रमाणित हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।				To	
10	Current Account/CC Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1 लाख रुपया का Solvency Certificate जो Superintendent New Gardiner Road Super Specialty Hospital Patna के नाम से देय होगा।					
11	विगत तीन वर्षों (Assessment Year) का आयकर रिटर्न की प्रति।	2021-22 :-			To	
		2022-23 :-			To	
		2023-24 :-			To	
12	विगत तीन वर्षो Financial Year का मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख) रूपये की प्रति।	2020-21 :-			To	
		2021-22 :-			To	
		2022-23 :-			To	
13	GST निबंधन का पिछले 06 माह अर्थात दिसम्बर 2023 से मई 2024 तक का मासिक / क्वार्टरली ई–फाइलिंग की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।				To	
14	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था / फर्म के निविदादाता (पदधारक) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है. शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।				To	
15	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि मेरे संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में वाद / सुनवाई के क्रम में कार्यादेश / एकरारनामा रद्द नही किया गया है तथा ना हीं संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है। शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।				To	
16	निविदादाता (सिर्फ पदधारक) का अद्यतन (06 माह से कम समय का) आवासीय प्रमाण–पत्र (स्थायी / अस्थायी) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।				To	
17	निविदादाता (सिर्फ पदधारक) के स्थाई / अस्थाई, पते का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन (06 माह से कम समय का) चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।				To	
18	निविदादाता (सिर्फ पदधारक) का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।			X	To	
19	निविदादाता (सिर्फ पदधारक) का पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।			X	To	
20	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि "मेरे द्वारा श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा। श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान मे निर्गत अधिसूचना मे दर्शाई गई निर्धारित मानदेय / मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से मानदेय / मजदूरी का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, अगर संबंधित माह का 15वें तारीख तक मानदेय / मजदुरी का भुगतान एवं ESIC, EPF की राशि जमा नही करने पर 15वें तिथि के बाद भुगतान करने पर प्रतिदिन एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना कटौती कर लेगें शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।				To	
21	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि जेनरेटर चालक को रखने में बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित अद्यतन आरक्षण के नियमों (General Administration Department. Letter No. 13876 Dated 03.11.2017 and 14556 Dated 17th November,2017 or Other Government Letter) का अनुपालन करेंगे।				To	
22	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग / कार्यालय / संस्थान / स्वास्थ्य संस्थान मे विभिन्न प्रकार का आरोप यथा *(आउट–सोर्सिंग व्यवस्था से संबधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य मे सुधार नही होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा दो या उससे अधिक बार नोटिस देने के बावजूद जी0एस0टी0 जमा करने का प्रमाण कार्यालय में जमा नही करना अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियो द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम विभाग / सक्षम कार्यालय / सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नही लगा हो, का शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। उपरोक्त आरोपित एजेन्सी निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नही होगें।*				To	
					कुल योग:–	

Scanned with CamScanner

Annexture-2

निविदादाता (पदधारक) की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पूरा नाम :–	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पूरा पता :–	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पद नाम :–	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का ई–मेल :–	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का जन्म तिथि :–	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) को पिता का नाम :–	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पैन नं० :–	
08	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के द्वारा निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का आधार नं० :–	
09	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के द्वारा निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का मोबाईल नं० :–	

निविदादाता (पदधारक) का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

Annexure 3: Prior Experience

Experience of 1 years (attach documentary proof/ certificate from concerned organization

S. NO	Name of Work	Year (Duration)	Agency who Awarded the work	Contact person/ Telephone Number	Remarks (यदि अस्पताल प्राइवेट हो तो बेड की संख्या अनिवार्य रुप से अंकित करेंगे)

Date:
Place:

Name and Designation of the Bidder:

Signature of Bidder:

Seal of the Bidder:

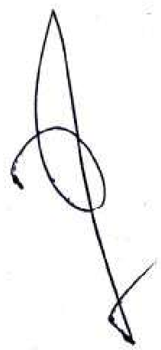

Scanned with CamScanner

Annexture-4

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,..................................

शपथ–पत्र
(निविदा शर्त्त "ख" का क्रमांक 14 के आलोक में)

मैं..जन्मतिथि–..
पिता–..माता..
पूरा पता, स्थाई (गॉव/शहर)..मुहल्ला–..वार्ड नं0–........................
पोस्ट–..............................प्रखण्ड–..............................थाना–......................................अनुमण्डल–......................................
जिला–..राज्य–..में रहता/रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गॉव/शहर)...मुहल्ला–..वार्ड नं0–........................
पोस्ट–..............................प्रखण्ड–..............................थाना–......................................अनुमण्डल–......................................
जिला–..राज्य–..में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मै..
संस्था..में
(पदधारक का पदनाम)..के पद पर हूँ।

(03) मैं..शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी **न्यायालय द्वारा दण्डित नही** किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का मुकदमा लंबित है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ–पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्त्ता

Scanned with CamScanner

Annexture-5

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.................................

शपथ–पत्र

(निविदा शर्त्त "ख" का क्रमांक 15 के आलोक में)

मैं...जन्मतिथि–..

पिता–..माता...

पूरा पता, स्थाई (गॉव/शहर)...................................मुहल्ला–...................................वार्ड नं0–.......................

पोस्ट–..............................प्रखण्ड–............................थाना–..................................अनुमण्डल–................................

जिला–..राज्य–...में रहता/रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गॉव/शहर)...................................मुहल्ला–...................................वार्ड नं0–.......................

पोस्ट–..............................प्रखण्ड–............................थाना–..................................अनुमण्डल–................................

जिला–..राज्य–...में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मै...में संस्था...

(पदधारक का पदनाम)..के पद पर हूँ।

(03) मैं...शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मेरे संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम में **कार्यादेश/एकरारनामा रद्द नही किया गया है तथा ना हीं संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।**

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ–पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्त्ता

Annexture-6

Scanned with CamScanner

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,...................................

शपथ–पत्र
(निविदा शर्त्त "ख" का क्रमांक 20 के आलोक में)

मैं...जन्मतिथि–.....................................

पिता–...माता...

पूरा पता, स्थाई (गॉव/शहर)..................................मुहल्ला–.......................................वार्ड नं0–......................

पोस्ट–...........................प्रखण्ड–...........................थाना–.................................अनुमण्डल–.........................

जिला–...राज्य–...में रहता/रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गॉव/शहर)..................................मुहल्ला–.......................................वार्ड नं0–......................

पोस्ट–...........................प्रखण्ड–...........................थाना–.................................अनुमण्डल–.........................

जिला–...राज्य–...में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मै...
संस्था...में
(पदधारक का पदनाम)..के पद पर हूँ।

(03) मैं..शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की "मेरे द्वारा श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा। श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से मानदेय/मजदूरी का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, अगर संबंधित माह का 15वें0 तारीख तक मानदेय/मजदुरी का भुगतान एवं ESIC, EPF की राशि जमा नही करने पर 15वें0 तिथि के बाद भुगतान करने पर प्रतिदिन एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना कटौती कर लेंगे।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ–पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्त्ता

Annexture-7

Scanned with CamScanner

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,..................................

शपथ–पत्र

(निविदा शर्त्त "ख" का क्रमांक 21 के आलोक में)

मैं..जन्मतिथि–..
पिता–..माता...
पूरा पता, स्थाई (गॉव/शहर)..मुहल्ला–.......................................वार्ड नं0–.......................
पोस्ट–..............................प्रखण्ड–..............................थाना–...................................अनुमण्डल–...............................
जिला–..राज्य–...में रहता/रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गॉव/शहर)..मुहल्ला–.......................................वार्ड नं0–.......................
पोस्ट–..............................प्रखण्ड–..............................थाना–...................................अनुमण्डल–...............................
जिला–..राज्य–...में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मै...में संस्था...
(पदधारक का पदनाम)..के पद पर हूँ।

(03) मैं..शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की जेनरेटर चालक को रखने में बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित अद्यतन **आरक्षण के नियमों** (General Administration Department. Letter No. 13876 Dated 03.11.2017 and 14556 Dated 17[H] November,2017 or Other Govt. Letter) का अनुपालन करेंगे।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ–पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्त्ता

Scanned with CamScanner

Annexture-8

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,..................................

शपथ–पत्र

(निविदा शर्त्त "ख" का क्रमांक 22 के आलोक में)

मैं..जन्मतिथि–..

पिता–..माता..

पूरा पता, स्थाई (गॉव/शहर)......................................मुहल्ला–.....................................वार्ड नं0–........................

पोस्ट–..............................प्रखण्ड–............................थाना–...................................अनुमण्डल–....................................

जिला–..राज्य–..में रहता/रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गॉव/शहर)....................................मुहल्ला–.....................................वार्ड नं0–........................

पोस्ट–..............................प्रखण्ड–............................थाना–...................................अनुमण्डल–....................................

जिला–..राज्य–..में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मै...
संस्था...में
(पदधारक का पदनाम)..के पद पर हूँ।

(03) मैं..शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की
नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/ कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा *(आउट–सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा दो या उससे अधिक बार नोटिस देने के बावजूद जी0एस0टी0 जमा करने का प्रमाण कार्यालय में जमा नही करना अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्त्तोनुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।* |

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ–पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्त्ता

Scanned with CamScanner

<u>Annexture-9</u>

<u>वित्तीय निविदा का प्रारूप</u>

शर्त्त (ग) का बिन्दुवार शर्त्तानुकूल दर्शाई गई कार्यो के अवलोकनार्थ एकमुश्त दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा।	दर
शर्त्त (ग) 01 संस्थान में जेनरेटर परिचालन हेतु ब्राण्डेंड कम्पनी का नई साईलेंट जेनरेटर डी०जी० सेट 125 KVA का मासिक किराया/भाड़ा (जिसमें जेनरेटर किराया, ईंधन, मोबील, सर्विसिंग एवं जेनेरेटर से सम्बन्धित अन्य खर्च शामिल हो को जोड़कर)।	➢ प्रतिमाह :–

Note :- The bidder will be required to raise the invoice as prescribed under GST Act 2017 & rules therein. The hospital will pay the agency/bidder Three Labour min wages, ESI, EPF, GST as per prevelling rates notified by the concern department along with monthly rent per month as per the financial bid coted above by the bidder/agency.

निविदादाता का हस्ताक्षर :–

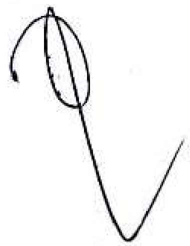

Scanned with CamScanner

Annexture-10

New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna में एजेन्सी.. के द्वारा

साइलेन्ट जेनरेटर डी0जी0सेट 125 के0वी0ए0 से वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की तिथिवार विवरणी से सम्बन्धित लॉगबूक

दिनांक	समय सुबह 6 बजे से अपराहन 2 बजे तक			अपराहन 2 बजे से रात्री 10 बजे तक			रात्री 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक		
	जेनरेटर चलने का समय कब से कब तक एवं कुल मिनट/घंटा का वर्णन	जेनरेटर चालक का हस्ताक्षर	ड्युटी पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर	जेनरेटर चलने का समय कब से कब तक एवं कुल मिनट/घंटा का वर्णन	जेनरेटर चालक का हस्ताक्षर	ड्युटी पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर	जेनरेटर चलने का समय कब से कब तक एवं कुल मिनट/घंटा का वर्णन	जेनरेटर चालक का हस्ताक्षर	ड्युटी पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

संस्था के सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner